

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

ऋणों पर प्रचलित ब्याज की दरें

क्र.	ऋण के प्रकार	बैंक द्वारा समितियों से	समितियों द्वारा सदस्यों से
1	अल्पकालीन कृषि ऋण रुपये 3,00,000/- तक के ऋणों पर	10%	(11% के मान से शेष राशि पर जिसमें राज्य शासन ब्याज सहायता 6% की दर से एवं केन्द्र शासन द्वारा 2% एवं प्रोत्साहन राशि 3% की दर से अनुदान के रूप में प्राप्ति योग्य)
2	मध्यमकालीन कृषि ऋण रुपये 25,000/- तक के ऋणों पर रुपये 25,000/- से अधिक के ऋणों पर	11% 11%	13%
3	आभूषण ऋण व्यक्तिगत	12%	
4	बैंक स्टॉफ से	10%	
5	विधायकों के वाहन ऋण (विधायकों के वाहन ऋण पर सेवा शुल्क)	12% 0.05% सेवा शुल्क व ब्याज	
6	(व्यावसायिक यातायात योजनान्तर्गत) रुपये 5 लाख तक रुपये 5 लाख से अधिक	12% 13%	
7	ट्रैक्टर ऋण बैंक शाखाओं से सीधे ऋण	1% सेवा शुल्क एवं ब्याज 12%	
8	ग्रामीण आवास ऋण (रुरल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत)	12%	
9	शहरी आवास ऋण, भवन एवं मरम्मत	12%	
10	व्यावसायिक साख सीमा फर्म/व्यक्तिगत	12%	

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

ऋणों पर प्रचलित ब्याज की दरें

क्र.	ऋण के प्रकार	बैंक द्वारा समितियाँ से/व्यक्तिगत
11	ई.ई.सी. एवं एन.सी.डी.सी. गोडाउन लोन/आई.सी.डी.पी.	10.5%
12	हाऊस लोन बैंक कर्मचारियों से	10%
	सहकारी संस्थाओं को खाद केश क्रेडिट	12%
	बुनकर सहकारी समितियों का केश क्रेडिट	13%
	औद्योगिक सहकारी समितियों को केश क्रेडिट	13%
13	विपणन सहकारी संस्थाओं को केश क्रेडिट	12%
14	जिला सह. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को केश क्रेडिट	12%
15	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को केश क्रेडिट	13%
16	सार्वजनिक वितरण प्रणाली केश क्रेडिट	12%
17	केश क्रेडिट अकृषि साख संस्थाएँ	13%
18	मध्यम अवधि अकृषि	12%
19	बैंक स्टॉफ को उपभोक्ता ऋण	11%
20	अन्य विभागों के कर्मचारियों को उपभोक्ता ऋण	12%
21	बैंक स्टॉफ को वाहन ऋण	7%
22	शहरी आवास बैंक कर्मचारी	12%
23	व्यक्तिगत ऋण एफ.डी.आर. के विरुद्ध	1% अधिक
24	सिल्वर जुबली पर्सनल लोन पर	11%
25	बैंक कर्मचारियों को सिल्वर जुबली ऋण	10%
26	वेयर हाऊस तारण पर ऋण	12%
27	एन.सी.सी. पर ऋण एन.एस.सी. पर ऋण - बैंक स्टॉफ के लिए अंकित दर से ही	2% सामान्य दर से
28	बैंक कर्मचारी संस्था मध्यम अवधि अल्पावधि पर ऋण	8.75%
29	बैंक कर्मचारियों को कम्प्यूटर ऋण	10%
30	मुख्यमंत्री आवास ऋण	11%
31	उच्च शिक्षा ऋण	12%

नोट : ब्याज दरें परिवर्तनशील हैं। अकृषि ऋणों पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर एवं कृषि ऋणों पर अर्ध. वार्षिक आधार पर की जाती है।